"महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का अध्ययन"
(ग्राम पंचायत अमने, विकासखंड कोटा, जिला बिलासपुर के विषेष संदर्भ में)

डॉ. अनुपम कुमार तिवारी[1], सुभाष देवांगन[2] एवं डॉ. शिवानी दीवान[3]
सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, ग्रामीण प्रौद्यागिकी विभाग, डॉ. सी. वी. रामन् वि.वि. कोटा बिलासपुर (छ.ग.)
[2]छात्र, पीजीडीआरडी, ग्रामीण प्रौद्यागिकी विभाग, डॉ. सी. वी. रामन् वि.वि. कोटा बिलासपुर (छ.ग.)
[3]सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, डॉ. सी. वी. रामन् वि.वि. कोटा बिलासपुर (छ.ग.)

सरांश–

सामाजिक अंकेक्षण एक प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा घोषित तिथि को ग्राम सभा के समक्ष सरकार द्वारा नियुक्त दो अंकेक्षक तथा ग्राम के जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में किया जाता है। इस प्रक्रिया में पंचायत द्वारा एक वर्ष के अंदर जो भी सार्वजनिक धन का आय–व्यय किया जाता है तथा इस दौरान जो योजनायें क्रियान्वित होती है उनका ग्राम सभा के बहुमत के आधार पर अंकेक्षण किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत शासन नई दिल्ली एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा उन्नत भारत अभियान अंतर्गत पांच गोद ग्रम चयन करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। जिसके अंतर्गत ग्रामीण प्रौद्यागिकी विभाग, डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय करगी रोड कोटा बिलासपुर द्वारा ग्राम पंडाकापा, ग्रम अमने, ग्राम टांडा, ग्रम पथर्रा एवं ग्रम जोगीपुर को चिन्हित कर उन्नत भारत अभियान अंतर्गत इन गोद ग्रामों में विभिन्न विकासात्मक एवं जागरुकता परक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। ग्रम अमने का अध्ययन इन्ही पांच गोद ग्रामो में से एक है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत अमने, विकासखंड कोटा, जिला बिलासपुर में "महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का अध्ययन" किया गया है।

प्रस्तावना–

भारत सरकार द्वारा **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 माह सितम्बर 2005** में पारित किया गया है। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिनांक से लागू होगा। विभिन्न राज्यों अथवा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अधिनियम के लागू होने के दिनांक भिन्न हो सकते हैं। यह भी उपबंधित है कि अधिनियम वर्तमान में अनुसूचित जिलों तक ही सीमित रहेगा इसे संपूर्ण क्षेत्र में अधिनियम दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में लागू किया जायेगा। प्रारंभ में अधिनियम के प्रावधानों का 2 फरवरी 2006 से विभिन्न राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत शासन नई दिल्ली एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा उन्नत भारत अभियान अंतर्गत पांच गोद ग्रम चयन करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। जिसके अंतर्गत ग्रामीण प्रौद्यागिकी विभाग, डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय करगी रोड कोटा बिलासपुर द्वारा ग्राम पंडाकापा, ग्रम अमने, ग्राम टांडा, ग्रम पथर्रा एवं ग्रम जोगीपुर को चिन्हित कर उन्नत भारत अभियान अंतर्गत इन गोद ग्रामों में विभिन्न विकासात्मक एवं जागरुकता परक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। ग्रम अमने का अध्ययन इन्ही पांच गोद ग्रामो में से एक है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत अमने, विकासखंड कोटा, जिला बिलासपुर में "महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का अध्ययन" किया गया है।

प्रमुख विशेषताएं–

1) योजना उन ग्रामीण परिवारों के व्यवस्क सदस्यों को जो रोजगार की मांग करते हैं एवं अकुशल मानव श्रम करने के इकच्छुक हैं। एक वित्तीय वर्ष में **150 दिवस** की विधिगत रोजगार की गारंटी प्रदान करती है।

2) प्रत्येक व्यक्ति जो योजना के अंतर्गत दिया गया कार्य करता है, प्रत्येक दिवस के लिए निर्धारित दर से मजदूरी पाने का पात्र होगा।

3) श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में जिस दिनांक को कार्य किया गया था उससे एक पखवाड़े की अवधि में मजदूरी का भूगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

4) केन्द्र और राज्य सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के अनुकूल एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 150 दिवस की गारंटी अवधि से अधिक दिनों के लिए भी प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को कार्य उपलब्ध काराने के लिए सक्षम होगी।

5) श्रमिकों जिसने कार्य के लिए आवेदन किया है और यदि उसे आवेदन के दिनांक से 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन से द्वारा उसे **बेरोजगारी भत्ते** का भुगतान किया जायेगा। बेरोजगारी भत्ते की राशि वित्तीय वर्ष में प्रथम 30 दिन हेतु न्यूनतम मजदूरी दर की एक चौथाई होगी तथा शेष अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी दर की आधी होगी। वित्तीय वर्ष में किसी परिवार को न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान की गई राशि का योग 150 दिन की न्यूनतम मजदूरी के योग से अधिक नहीं होगा।

(6) योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थाई परिसंपत्तियों का सृजन तथा ग्रामीण गरीबों के जीवनयापन आधार को सशक्त बनाना है। प्रारंभ में योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किये गये है:–

- जल संवर्धन एवं संरक्षण।
- सूखे का रोकथाम।
- सिंचाई नहर (माइक्रो एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित)।
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों अथवा भूमि सुधार के हितग्राहियों अथवा अ.जा. /अ.ज.जा. के व्यक्तियों द्वारा भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
- परम्परागत जल स्त्रोत संरचनाओं का पुनरूध्दार।
- भूमि विकास के कार्य।
- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी संबंधित कार्य।
- बारहमासी ग्रामीण पहुंच मार्गों का निर्माण।
- केन्द्र शासन द्वारा राज्य शासन के परामर्श से अधिसूचित अन्य कार्य।
- भारत के राजपत्र में प्रकाशित ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 6 मार्च 2007 के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों या भूमि सुधार के हितग्राहियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हितग्राहियों की स्वयं की गृहस्थ भूमि के लिए सिंचाई सुविधा, बागवानी, बागान और भूमि विकास सुविधा ।

(7) योजना के अंतर्गत आरंभ किये जाने वाले कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ही होगें।

(8) योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई परियोजनाओं में कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित सामग्री की लागत परियोजना की कुल लागत की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(9) रोजगार उपलब्ध कराने में महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जायेगी कि योजना के अंतर्गत पंजीकृत एवं कार्य के लिए आवेदन देने वाली महिला हितग्राहियों की संख्या कुल हितग्राहियों की कम से कम एक तिहाई हो।

(10) परियोजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारों को लगाने की अनुमति नहीं होगी। श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का उपयोग भी वर्जित है।

अध्ययन का औचित्य–

"जब समाज के लोग अपने से जुड़े मुद्दे या कार्यों की स्वयं अपने स्तर पर निगरानी करते हैं, परिणामों का मूल्यांकन करते हैं और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को सही ढंग से सुनिश्चित कराते हैं उसे सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है।"

सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से गांव में निवास करने वाली जनता की स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन में सहभागिता बढ़ेगी।स्थानीय सरकारों का संचालन पूर्ण रूप से जनता के सहमति, जनसमर्थन, जनता की भागीदारी तथा उनके अपने आवश्यकताओं के प्रति समझ के आधार पर किया जा सके। सामाजिक अंकेक्षण एक प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा घोषित तिथि को ग्राम सभा के समक्ष सरकार द्वारा नियुक्त दो अंकेक्षक तथा ग्राम के जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में किया जाता है।इस अध्ययन का औचित्य इस प्रकार है।

पंचायत को लाभ :–

1) कार्यों के स्थल का चयन सभी की मंजूरी से सही स्थान पर हो सकेगा।
2) मजदूरों को माफ एवं कार्यअवधि की जानकारी होने पर भुगतान के समय विवाद नहीं होगा।
3) ग्राम पंचायत की छवि में सुधार होगा।
4) कार्य एजेंसियां नियमानुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो सकेंगी।
5) अवांछनीय हस्तक्षेप नहीं होगा।
6) गांव में अच्छे वातावरण का निर्माण होगा।

ग्रामीणो को लाभ :–

1) सभी ग्रामीण जागरूक होगें।
2) निर्माण कार्यों में क्षति नहीं होगी।
3) काम चाहने वाले सभी मजदूरों को काम मिलेगा।
4) बेरोजगारी नहीं होने से उनके कर्तव्यों की जानकारी होगी।
5) सभी ग्रामीणों को उनके कर्तव्यों की जानकारी होगी।
6) जनता को अधिक से अधिक सूचनाएं मिलेंगी।
7) गांव के आवश्यकतानुसार कार्य होगा।

अध्ययन के उद्देश्य–

1.ग्राम पंचायत अमने की सामान्य जानकारी प्राप्त करना।
2.ग्राम पंचायत अमने के जनसांख्यिकीय व ग्रामीण जागरूकता का अध्ययन करना।

अध्ययन का क्षेत्र –

जनसंख्या– छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला के कोटा विकासखंड को जनसंख्या माना गया है।
न्यादर्श – कोटा विकासखंड का अमने गॉव को न्यादर्श ग्राम माना गया है। जिसका विवरण इस प्रकार है।

गोद ग्राम–अमने	
स्थानीय नाम	**अमने**
तहसील का नाम	कोटा
जिला	बिलासपुर
राज्य	छ.ग.
भाषा	छत्तीसगढ़ी और हिंदी
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	कोटा
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	बिलासपुर संसदीय क्षेत्र

वर्तमान सरपंच का नाम	श्रीमति कौशिल्या बाई
कुल वार्ड संख्या	18
डाक का नाम	टमने
कुल जनसंख्या	3500
कुल परिवार	850
कुल साक्षरता दर	50.6:
कार्य जनसंख्या :	40:

मानचित्र

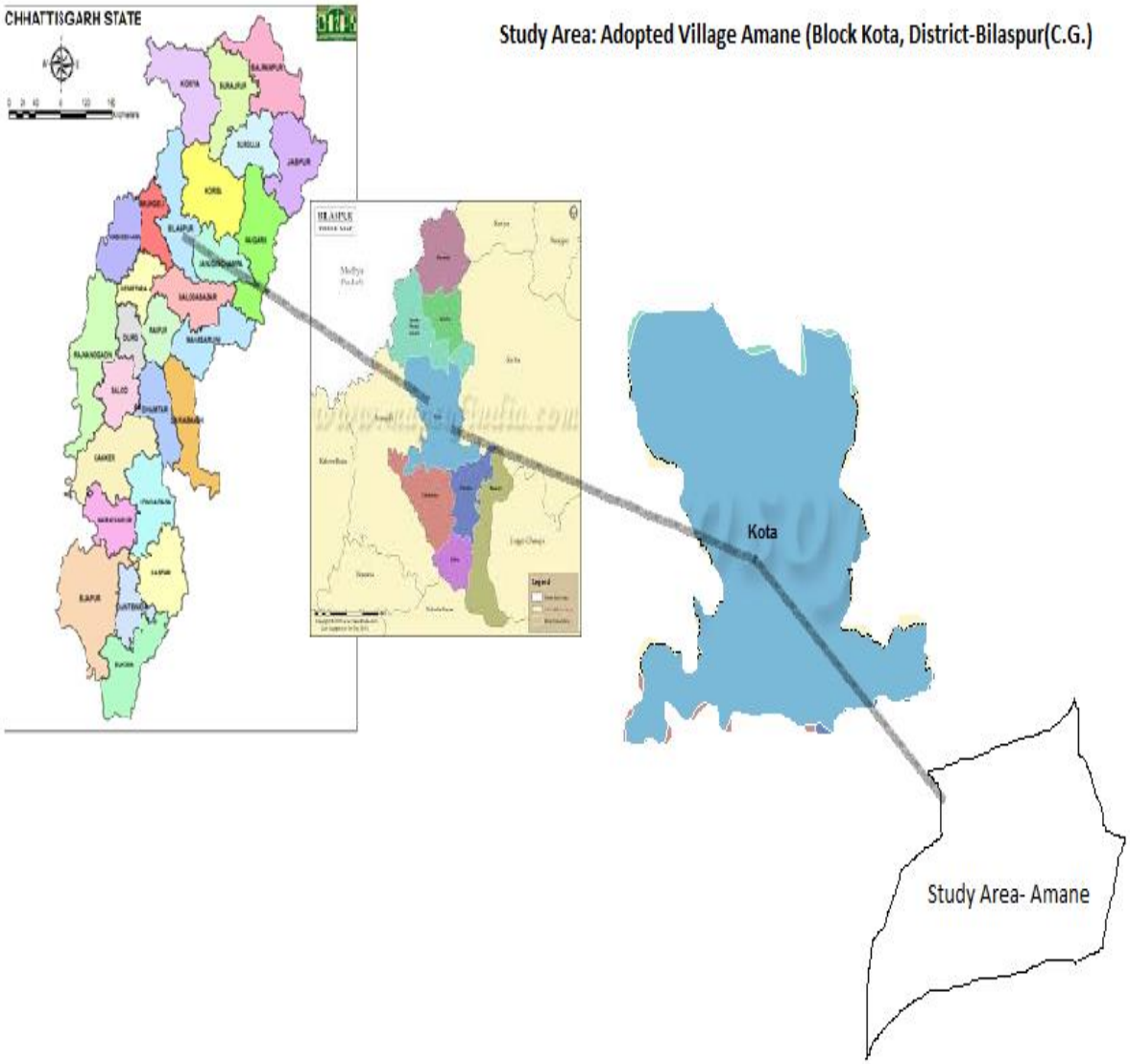

प्रयुक्त उपकरण-

अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार विधि का उपयोग किया गया है।

विश्लेषण

अमने छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में कोटा तहसील का एक गाँव है। अमने एक मध्यम आकार का गाँव है, जो बिलासपुर जिले के कोटा तहसील में स्थित है। स्थानीय भाषा छत्तीसगढ़ी है। जिसमें कुल 850 परिवार रहते हैं। अमने गाँव की जनसंख्या 3500 है। ग्राम साक्षरता दर 50.6: है।

स्थान और प्रशासन

ग्राम पंचायत का नाम अमने है। अमने उप ब्लाक मुख्यालय कोटा से 5 किमी. की दूरी पर है और यह जिला मुख्यालय बिलासपुर से 32 किमी. दूरी पर है।

शिक्षा

ग्राम साक्षरता दर 50.6: है। इस गाँव में सरकारी प्राथमिक और सरकारी मिडिल स्कूल उपलब्ध हैं। निजी प्राइमरी स्कूल और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगे कोटा में है। निकटतम गवर्नमेंट आर्ट्स एंड़ साइंस डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और सरकारी आईटीआई कॉलेज बिलासपुर में हैं। निजी यूनिवर्सिटी कोटा में स्थित हैं। निकटतम सरकारी विद्यालय कोटा में हैं। जो अमने से मात्र 3 किमी. पर स्थित है।

स्वास्थय

प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र उपलब्ध है।

कृषि

इस गाँव में धान, गेहू, और तिवरा (दलहन) कृषि उत्पाद है। इस गाँव में कुल सिंचित क्षेत्र बोरवेल/ नलकूपों से सिंचाई के स्त्रोत्र है।

पीने को पानी

वाटर सप्लाई साल भर और गर्मियों में भी उपलब्ध रहता है। इस गाँव में कोई भी ड्रेनेज सिस्टम उपलब्ध नहीं है। यह गाँव कुल स्वच्छता के अंतर्गत आता है।

संचार

इस गाँव में डाकघर उपलब्ध हैं।इस गाँव में उप डाकघर उपलब्ध है। लैंडलाईन उपलब्ध हैं। मोबाईल कवरेज उपलब्ध है। निकटतम इंटरनेंट केन्द्र 5–10 किमी. है।

परिवहन

इस गाँव में ट्रैक्टर, पीक अप, के अलावा दूसरी परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

व्यापार

10 किमी. से कम वाणिज्य बैंक नहीं है। सहकारी बैंक 5–10 किमी. पर है।

अन्य सुविधाएँ

आँगन बाड़ी केन्द्र आशा जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालय, खेल सुविधाएँ और मतदान केन्द्र गाँव में अन्य सुविधाएँ है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रत्येक परिणाम का एक महत्व होता है किसी शोध में परिणाम से प्राप्त आकड़ों में उच्चतम–न्यूनतम का ज्ञान होता है, कि जिस क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है वहां क्या कमियां एवं आवश्यकता है इसी के अनुसार उस क्षेत्र की कमियों को दूर करने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर दिया जाता है।

अनुसंधान से संबंधित आकड़ों के विश्लेषण के साथ ही साथ विवेचना की भी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। विवेचना के अंतर्गत विश्लेषण के परिणामों को लिया जाता है। इसके द्वारा अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त संबंधो के तर्क संगत आधार पर अनुमान लगाये जाते हैं और अध्ययन से संबंधित संबंधो के प्रति निष्कर्ष ज्ञात किया जाता है। शोध में अनुसंधानों के परिणामों के परिक्षेत्र में ही विवेचना के द्वारा अनुसंधान से संबंधित समस्याओं के अंतर प्राप्त होता है।

सर्वेक्षित क्षेत्र ग्राम अमने में कुल उत्तरदाताओं में 50 प्रतिशत महिला हैं एवं 50 प्रतिशत पुरूष हैं। प्राप्त आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं को अधिक से अधिक आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके।

सर्वेक्षित क्षेत्र ग्राम अमने में कुल उत्तरदाताओं में 18–28 04 प्रतिशत और 29–38 26 प्रतिशत एवं 39–48 सर्वाधिक वर्ष वाले उत्तरदाता 30 प्रतिशत जबकि 49 से ऊपर वाले उत्तरदाता 40 प्रतिशत है। प्राप्त आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 49 आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, जबकि 21–28 आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या सबसे कम है।

उपरोक्त प्राप्त आकड़ो से शोधकर्ता को सर्वेक्षित क्षेत्र ग्राम अमने में ग्रामीणों की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी में कुल जनसंख्या में 52 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा, 24 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक शिक्षा 10 प्रतिशत उत्तरदाता हाई स्कूल, 12 प्रतिशत उत्तरदाता हॉयर सेकेण्ड्री तथा 02 प्रतिशत उत्तरदाताओं को स्नातक शिक्षा प्राप्त है। प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 52 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हैं।

ग्राम अमने में उत्तरदाता का व्यवसाय कृषि 70 प्रतिशत, मजदूरी 28 प्रतिशत, गृहिणी 01 प्रतिशत तथा नौकरी 00 प्रतिशत है। चुंकि गांव कृषि प्रधान देश होता है इसलिए अधिकांश उत्तरदाता या परिवार कृषि कार्य करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गांव में कृषि करने वालों की अधिकता है। प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 70 प्रतिषत लोग कृषि करने वाले हैं।

शोधकर्ता को प्राप्त आकड़ों के अनुसार 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 'मनरेगा' के बारे में जानकारी है। इससे यह स्पष्ट होता है गांव के लोग मनरेगा के बारे में जानते हैं।

उपरोक्त प्राप्त आकड़ो से शोधकर्ता को यह परिणाम प्राप्त हुआ कि अधिकांश उत्तरदाता 100 प्रतिषत का जवाब है कि उन्होने अपना जॉब कार्ड बनवाया है जबकि 00 प्रतिषत लोगों का जॉब कार्ड नहीं बना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा सभी मजदूरों का जॉब कार्ड बनाया जाता है।

ग्राम अमने में प्रायः सभी उत्तरदाताओं ने अपना जॉब कार्ड अपने ही पास रखे हुए हैं, बहुत कम लोगों का ही यह जवाब है कि जॉब कार्ड हमारे पास नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जॉब कार्ड अपने ही पास रखे हुए हैं।

शोधार्थी को प्राप्त आकड़ों के अनुसार प्रायः सभी उत्तरदाताओं ने अपना जॉब कार्ड अपने ही पास रखे हुए हैं बहुत कम लोगों का ही यह जवाब है कि जॉब कार्ड हमारे पास नही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जॉब कार्ड कुछ काम के लिए सरपंच या सचिव के पास रखा गया है।

शोधकर्ता को प्राप्त आकड़ों के अनुसार यह परिणाम प्राप्त होता है कि प्रायः सभी उत्तरदाताओं ने यह जवाब दिया है कि मजदूरी भुगतान के समय भुगतान का ब्यौरे को जॉब कार्ड में नहीं लिखा जाता है जबकि बहुत कम मजदूरों द्वारा यह जवाब दिया गया है कि जॉब कार्ड में लिखा जाता।

शोधार्थी के अनुसार यह परिणाम प्राप्त होता है कि 34 प्रतिशत मजदूरी हाजरी कच्चा खाता में लिखा जाता है तथा 66 प्रतिशत मजदूरी हाजरी मास्टररोल में लिखा जाता है। इससे परिणाम निकलता है कि मेट द्वारा अधिकतर मजदूरी हाजरी कच्चा खाता में लिखी जाती है।

ग्राम अमने में शोधकर्ता के अनुसार यह परिणाम निकलता है कि ग्रामीणों द्वारा रोजगार हेतु आवेदन नहीं दिया जाता है।

शोधकर्ता को प्राप्त आकड़ों के अनुसार यह परिणाम प्राप्त होता है कि प्रायः सभी उत्तरदाताओं द्वारा जॉब कार्ड में किये गये कार्यों का विवरण लिखा जाता है, बहुत कम लोग ही हैं जिनके द्वारा नहीं लिखे जाने का विवरण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि या तो सरपंच,सचिव की लापरवाही या मजदूरों की स्वयं की लापरवाही रहती है।

शोधार्थी के अनुसार यह ज्ञात होता है कि 64 प्रतिशत उत्तरदाता द्वारा सूचना पटल पर लिखा जाता है, जबकि 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कार्य का विवरण सूचना पटल पर नहीं लिखा जाता है। प्राप्त आकड़ों से यह परिणाम निकलता है कि कार्य योजना का विवरण सूचना पटल पर उपलब्ध नहीं रहता है।

ग्राम अमने में शोधकर्ता को प्राप्त आकड़ों से यह ज्ञात होता है कि सभी उत्तरदाता कहते हैं कि कार्य 150 दिन नहीं मिल पाता। प्राप्त आंकड़ों से यह परिणाम निकलता है कि उत्तरदाताओं का जवाब है कि एक वर्ष में 150 दिन का रोजगार प्राप्त नहीं होता है।

शोधकर्ता को प्राप्त आकड़ों के अनुसार यह परिणाम प्राप्त होता है की मनरेगा से होने वाले कार्यो से मजदूर संतुष्ट नहीं है क्योंकि इससे लोंगो को बाहर काम करने कि आवश्यकता पड़ती है।

शोधार्थी के अनुसार यह ज्ञात होता है कि 90 प्रतिशत उत्तरदाता अंकेक्षण कें बारे में जानते है जबकि 10 प्रतिशत उत्तरदाता ही सामाजिक अंकेक्षण के बारे में नहीं जानते है। प्राप्त आंकडो से यह परिणाम निकलता है कि सामाजिक अंकेक्षण के बारे में प्रायः सभी उत्तरदाता नहीं जानते है।

अमने में शोधकर्ता को प्राप्त आकड़ों से यह ज्ञात होता है कि 90 प्रतिशत उत्तरदाता मनरेगा के अंतर्गत होने वाले सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानते है जबकि 10 प्रतिशत उत्तरदाता नहीं जानते है। प्राप्त आंकडो से यह परिणाम निकलता है कि मनरेगा के अंतर्गत होने वाले सामाजिक अंकेक्षण के बारे में अधिकतर उत्तरदाता नहीं जानते है।

शोधकर्ता को प्राप्त आकड़ों के अनुसार यह परिणाम प्राप्त होता है कि 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं से जवाब मिलता है कि पंचायत के कार्य कि देख रेख के लिये निरिक्षण अधिकारी आते है, जबकि 10 प्रतिशत उत्तरदाता कहते है कि निरिक्षण के लिये अधिकारी नहीं आते है। प्राप्त आंकड़ो से यह परिणाम निकलता है कि मनरेगा के अंतर्गत होने वाले सामाजिक अंकेक्षण के लिये निरिक्षण अधिकारी नहीं आते है।

शोधार्थी को प्राप्त आकड़ों के अनुसार यह ज्ञात होता है कि 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा जवाब मिलता है कि सामाजिक अंकेक्षण में ग्रामीण जनता कि भागीदारी होती है, जबकि 10 प्रतिशत लोग ही कहते है कि सामाजिक अंकेक्षण में ग्रामीण जनता कि भागीदारी नहीं होती है। प्राप्त आंकड़ो से यह परिणाम निकलता है कि मनरेगा से संम्बधित समाजिक अंकेक्षण मे ग्रामीण लोगो कि भागीदारी नहीं होती है ।

ग्राम अमने में शोधार्थी को प्राप्त आकड़ों से यह ज्ञात होता है कि 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा जवाब मिलता है कि सामाजिक अंकेक्षण से मजदूरो को लाभ मिलता है जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा यहा ज्ञात होता है कि सामाजिक अंकेक्षण से मजदूरो को लाभ नहीं मिलता है। प्राप्त आंकडो से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक अंकेक्षण से मजदूरो लाभ मिलता नहीं है।

शोधकर्ता को प्राप्त आकड़ों के अनुसार यह परिणाम प्राप्त होता है कि 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा जवाब मिलता है कि सामाजिक अंकेक्षण में ग्रामीणों को लाभ होता है, जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा यह ज्ञात होता है कि सामाजिक अंकेक्षण से ग्रामीणों को लाभ नहीं मिलता हैं। प्राप्त आंकड़ो से यह परिणाम निकलता है कि सामाजिक अंकेक्षण से ग्रामीणों को लाभ नहीं मिलता है।

शोधार्थी को प्राप्त आकड़ों के अनुसार यह ज्ञात होता है कि 00 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा यह जवाब मिलता है कि सामाजिक अंकेक्षण में महिलाओं कि भागीदारी होती है जबकि 100 प्रतिशत लोग कहते है कि सामाजिक अंकेक्षण महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है। प्राप्त आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है सामाजिक अंकेक्षण में महिलाओं कि भागीदारी नहीं होती हैं।

ग्राम अमने में शोधार्थी को प्राप्त आकड़ों से यह ज्ञात होता है कि 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा जवाब मिलता है कि सामाजिक अंकेक्षण में ग्रामीणों कि षिकायतों पर कार्यवाही होती है, जब कि 66 प्रतिशत लोग यह कहते है कि सामाजिक अंकेक्षण में ग्रामीणों की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं किया जाता है। प्राप्त आंकडों से यह परिणाम निकलता है कि सामाजिक अंकेक्षण में ग्रामीणों कि शिकायतों पर कार्यवाहीं नही किया जाता हैं।

शोधकर्ता को प्राप्त आकड़ों के अनुसार यह परिणाम प्राप्त होता है कि उत्तरदाताओं द्वारा यह जवाब मिलता है कि सामाजिक अंकेक्षण के लिये बाहर के लोग शामिल नहीं हो सकतें है, जबकि बहुत कम लोगों का कहना है कि सामाजिक अंकेक्षण के समय बाहर से लोग आते है ।

शोधार्थी को प्राप्त आकड़ों के अनुसार यह ज्ञात होता है कि 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा यह जवाब मिलता है कि मनरेगा में होने वाले सामाजिक अंकेक्षण के बैठक में उसी से सम्बधित प्रश्न ही पूछे जायेगें जबकि 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा यह ज्ञात होता है कि सामाजिक अंकेक्षण से ही प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्राप्त आंकडो से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब सामाजिक अंकेक्षण होता है तो प्रायः उसी से सम्बधित प्रश्न नहीं पूछे जाते है।

ग्राम अमने में शोधार्थी को प्राप्त आकड़ों से यह ज्ञात होता है कि अधिकतर उत्तरदाताओं द्वारा कार्यो कि प्रक्रिया कि जांच हेतु जांच दल कि रिपोर्ट ही अंतिम नहीं होगी।

सुझाव

1) सामाजिक अंकेक्षण में एक सहायता टेबल बनाया जा सकता है जहां लोगों की त्वरित समस्याएं पंजीयन आवेदन फोटो आदि का समाधान हो सके।

2) बैठक व्यवस्था पहले से तय हो तथा महिलाओं, पुरूषों, क्रियान्वयन एजेंसी के सदस्यों, अध्यक्ष, गांव के प्रबुद्ध नागरिक, बुजुर्ग आदि के हिसाब से ही बैठक पहले से ही तय हो।

3) सामाजिक अंकेक्षण में आयी और हल की गई समस्याओं का विवरण सार्वजनिक किया जावे, जिससे लोगों को भरोसा हो सके कि उनकी बातों पर ध्यान दिया जाता है और समस्याएं हल होती हैं।

4) दंड और सजा की जगह गलती स्वीकार कर माफी और गलती दुबारा न हो इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाये।

5) कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध जवाबदेही तय होनी चाहिए।

6) समाजिक अंकेक्षण में बाहर से जांच दल के अधिकारियों को निरिक्षण के लिए आना चाहिए।

संदर्भ गंथ

- **खेरा (2009)**, मेकिंग नरेगा वर्क, अनपब्लिसेड रिपोर्ट फ्रीपेड फॅर दि एन.सी.ई.यू.एस. नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राइज इन दि आन ऑर्गनाइजेशन सेक्टर।
  एच.एल. बाजपेयी (2007), सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण किताब गढ़।
- **डी.सी. पटेल (2013**), सहायक विस्तार विकास अधकारी मुस्कान पब्लिकेशन।
- **डॉ. ब्रम्हाप्रकाष यादव (2014),** ई–मेंलः yadav.dabp@gmail.com
- **तिवारी एवं ठाकुर (2007),** ग्रामीण विकास हेतु दूरदारी पहलः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राष्ट्रीय सेमीनार ग्रामीण विकास हेतु।
- **रेड्डी (2010),** सामाजिक सुरक्षा की तरह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
- **बी.एम.कपूर (2009)**, छत्तीसगढ़ का भूगोल, विजय प्रकाशन सूरत।
- **सुनील ठाकुर (2014),** ई–मेलः`नदपसातण्जींानत1997/हउंपसण्बवउ
- **रविन्द्रनाथ मुखर्जी (2009),** सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी विवेक प्रकाशन।